

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-599 / 2025

रिंकू कोली

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. खनिज अभियंता, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :-03.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, कैवियटर

समक्ष :-विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)

अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन ख.अ. अलवर से ख.अ. बूंदी-1 में किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में जयपुर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी पहले ही एक दूसरे से दूर पदस्थापित है। वर्तमान आलोच्य आदेश से अपीलार्थी को ओर अधिक दूरी पद पदस्थापित किया गया है। राज्य सरकार की नीति रही है कि पति-पत्नी दोनों ही राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव नजदीक पदस्थापित रखा जाना चाहिए, परन्तु आलोच्य आदेश में इस नीति का ध्यान नहीं रखा गया है।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार

अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष